न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

निगरानी संख्या :– 11/2019

1. तेजाराम पुत्र स्व. हनुमान सहाय जाट
2. हंसराज पुत्र स्व. हनुमान सहाय जाट
3. जयराम पुत्र स्व. हनुमान सहाय जाट
4. सूरज पुत्र स्व. हनुमान सहाय जाट
5. मनीष पुत्र स्व. हनुमान सहाय जाट
6. किशन पुत्र स्व. हनुमान सहाय जाट
7. श्रीमती भगवती देवी पत्नी सव. हनुमान सहाय जाट
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी पटवार हल्का खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत खोरालाडखानी पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर जरिये सरपंच
2. कानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी पटवार हल्का खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

रेस्पोडेन्ट / गैर निगरानीकर्त्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 विरूद्व निर्णय सरपंच ग्राम पंचायत खोरालाडखानी जिला जयपुर दिनांक 20/4/2018 प्रस्ताव संख्या 5 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 01 द्वारा रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 के हक में पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया।

निर्णय

दिनांक 13.8.2021

निगरानीकर्त्ता द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत खोरालाडखानी जिला जयपुर निर्णय दिनांक 20/4/2018 प्रस्ताव दफा–5 के द्वारा रेस्पोडेन्ट/गेर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 के हक में पट्टा जारी किया है उसके विरूद्व निगरानी पेश की है। प्रस्तुत की गयी निगरानी में वर्णित तथ्य निम्नभांति पेश किये हैं :–

निगरानी में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के यहां रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आबादी भूमि में स्थित भू–खण्ड का विनियमितिकरण का पट्टा जारी कराने बाबत आदेश दिया गया। आवेदन में वर्णित भूमि पर पुश्तेनी कब्जा होना जाहिर किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर प्रस्ताव संख्या 7(2) दिनांक 20/3/2018 द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को रिकॉर्ड पर लिया गया।

वार्ड पंचों को देय कमिशन रिपोर्ट हेतु नियुक्त किया गया, जिनके द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर प्रस्ताव संख्या 5(2) दिनांक 20/4/2018 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में रेस्पोन्ट संख्या एक द्वारा पट्टा जारी करने बाबत आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से निगरानीकर्त्ता व्यथित होकर निम्न आधारों पर निगरानी पेश हैं :–

1. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानीग्रस्त आदेश विधि के प्रावधानों के खिलाफ होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश पत्रावली पर मौजूद सामग्री व दस्तावेजात् के खिलाफ होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा रेस्पोडेन्ट के यहां आवेदन पेश करते हुए कथन किया गया कि उसका विवादित भूमि पर 25 सालों से कब्जा चला आ रहा है तथा कब्जाशुदा भूमि आबादी का भाग है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा आबादी भूमि के आधार पर पट्टा जारी किया जाना चाहिए था वार्ड पंचों द्वारा जो पंच कमिशन रिपोर्ट पेश की है वह मौके की जांच नकर पंचायत भवन में ही तैयार की है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हितों को मध्यनजर रखते हुये कार्यालय में बैठकर तैयार ही है। पंचों द्वारा मौका मुआयना कब किया तथा किन गवाहन की मौजूदगी में पंच कमिशन रिपोर्ट तैयार की उसका कोई उल्लेख नहीं है। उक्त रिपोर्ट बनावटी एवं मौका स्थिति के विपरीत तैयार की है। उक्त खसरा नम्बर 2249 एवं 2050 में राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि अंकित है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत जाकर उक्त रिपोर्ट तैयार की है जिसके आधार पर कानूनन पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था।
4. यह है कि ग्राम पंचायत खोरालाडखानी के सरपंच द्वारा प्रस्ताव संख्या 7(2) दिनांक 20/3/2018 द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को रिकॉर्ड पर लिया गया। सुरजमल रामदेव शुशीला वार्ड पंचों को कमिशन रिपोर्ट हेतु नियुक्त किया गया, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेने का निर्णय नहीं लिया गया। इससे यह साबित होता है कि बदनियतीपूर्वक बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट लिए उक्त पट्टा जारी किया गया है। सरपंच ग्रा.पं. खोरालाडखानी द्वारा विधि के प्रावधानों के विरीत जाकर पट्टा जारी करने की कानूनी भूल की है। उक्त भूमि पर सरपंच द्वारा पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था । इस कारण पट्टा खारिज किये जाने योग्य है।
5. यह है कि उक्त पंच कमीशन रिपोर्ट में वार्ड पंचों द्वारा आबादी भूमि में स्थित हो इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया है तथा यह भी अंकित नहीं किया गया कि विवादित स्थल सरकारी आबादी भूमि के अनतर्गत आता है, जिसका खसरा नम्बर राजस्व ग्राम पंचायत खोरालाडखानी के नाम दर्ज हो। उक्त इन्द्राज का उल्लेख भी पत्रावली पर नहीं है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा उस पर श्विास करते हुए निगरानीधीन पट्टा आदेश जारी कर दिया जो विधि विरूद्व अपास्त किये जाने योग्य है।
6. यह है कि कमिशन रिपोर्ट में यह कही भी अंकित नहीं है कि रेस्पोडेनट संख्या 02 द्वारा जिस भूमि का पट्टा चाहा गया है उस आबादी भूमि का खसरा नम्बर क्या है। सम्पूर्ण पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात् एवं मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का कब्जा सरकारी आबादी भूमि पर हो तथा उसका खसरा नम्बर क्या है। इससे स्पष्ट है कि पंच कमिशन रिपोर्ट मौके के विपरीत तैयार की गयी है।
7. यह है कि प्रस्ताव संख्या 7(2) दिनांक 20/3/2018 को वार्ड पंचों की नियुक्ति करते हुये आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया तथा

दिनांक 20/3/2018 को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्ताव संख्या 7(2) द्वारा प्रस्ताव संख्या 7(2) के सम्बन्ध में एक कार्यवाही विवरणिका तैयार की गयी है, जिसमें अंकित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति आमन्त्रित करने हेतु आपत्ति नोटिस 7 दिवस का जारी किया था जो नियम 147 के अनुसार 30 दिवस का समय दिये जाने का प्रावधान है, लेकिन उक्त प्रावधान के विपरीत जाकर कार्यवाही की गयी है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

8. यह है कि नियम 148 के अनुसार एक माह का पब्लिक नोटिस फार्म XX 11 में आपत्ति के लिए सार्वजनिक स्थल पर चस्पा किया जाना आवश्यक है, लेकिन विधिक प्रावधानों विपरीत कार्यवाही की गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

9. यह है कि निगरानीकर्त्तागण् की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 2249 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 2250 रकबा 0.11 है0 ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी पटवार हल्का खोरालाडखानी भू.अ.नि. मनोहरपुर में स्थित है, जिसके समस्त खातेदारी अधिकार निगरानीकर्त्ता में निहित है। उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण में कृषि भूमि ख.नं. 2247, 2248 स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि में से 1/2 हिस्सा निगरानीकर्त्तागण् के पिताा व पति हनुमान पुत्र गंगा सहाय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र 23/8/1995 को जरिये खरीद का कब्जा प्राप्त किया गया तथा सम्पूर्ण भूमि बाबत उनको हक अधिकार प्राप्त हो जाने के कारण उनके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गयी तथा उनकी मृत्यु उपरान्त विरासत नामा. निगरानीकर्त्ता के हक में खोला गया। उक्त भूमि की देखभाल व काश्त करने हेतु निगरानीकर्त्तागण् के पिता व पति द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पिता को बटायी पर बतायी गयी थी तथा इसी आधार पर उनको रिहायस की सुविधा अपने द्वारा बनाये गये मकान में उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें कि वह निगरानीकर्त्तागण् के पिता व पति की इजाजत से निवास करते हुये खेती करते रहे, लेकिन उनकी मृत्यु उपरान्त निगरानीकर्त्ता की भूमि की कीमत बढने जाने व उसके आगे रोड स्थित होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की नियत् में फितुर समा गया तथा उसके द्वारा निगरग्नीकर्त्तागण् की खातेदारी की भूमि के हिस्से जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लाईसेंसी के रूप में निवास कर रहा है द्वारा गलत रूप से आबादी भूमि बताकर पट्टा प्राप्त करने हेतु निवेदन किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पदाधिकारियों व कर्मचारियों से साजिस कर व षडयन्त्र कर निजि खातेदारी भूमि की पूर्वी दक्षिणी कौने की सडक से लगती हुयी जमीन को आबादी भूमि गलत रूप से दर्शाकर निगरानीधीन आदेश जारी करवा लिया जो कतई विधि विरूद्व है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

10. यह है कि निगरानीधीन आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा आबादी भूमि की बाबत जारी ना कर निजी खातेदारी की भूमि के हिस्से बाबत पारित किया गया है जो विधि विरूद्व है।

11. यह है कि निगरानीधीन आदेश की जानकारी निगरानीकर्त्ता को सर्वप्रथम अक्टुबर 2018 के अन्त में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से हुयी। अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर सूचना के अधिकार के तहत् सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्ति हेतु 01/11/2018 को लोक सूचना अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खोरालाडखानी के यहां पेश करवाया, लेकिन वहां से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी। अपील अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध करायी जाने पर जिसका अवलोकन करने पर निगरानीकर्त्तागण् को सर्व प्रथम समस्त तथ्यों की जानकारी हुयी। इस कारण उक्त निगरानी जानकारी दिवस से 30 दिन की समयावधि में पेश की जा रही है फिर भी कानूनी विवाद उत्पन्न ना हो इस

कारण दफा–5 मियाद अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

12. यह है कि निगरानीधीन आदेश निगरानीकर्त्तागण् की निजी खातेदारी की भूमि से सम्बन्धित पारित किया गया है, जिससे निगरानीकर्त्तागण् प्रभावित है। इस कारण उसके द्वारा अपने हितों व सम्पत्ति की रक्षार्थ उक्त निगरानी पेश करने का अधिकार है।

13. यह है कि निगरानी नियमानुसार निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश है जिसको सुनने एवं तैय करने का अधिकार श्रीमान् का है। अतः निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश 20/4/2018 को निरस्त फरमावें तथा उक्त आदेश के आधार पर की गयी समस्त कार्यवाही को अवैध एवं प्रभाव शून्य घोषित किया जावें।

14. निगरानीकर्त्ता द्वारा जरिये वकील निगरानी पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। गैर निगरानीकर्त्ता की तलबी हेतु जरिये सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील होने पर गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 की ओर से श्री मंगलचन्द यादव एडवोकेट उपस्थित आये। उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब पेश किया शामिल पत्रावली किया गया।

15. गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 की ओर से जवाब पेश हुआ, जिसमें वर्णित तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान के प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है जो किसी भी कदर अपास्त होने योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पट्टा जारी कराने का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर कानूनन वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने पर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुये गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 को पट्टा जारी किया गया है मात्र लिख देने से कृषि भूमि नहीं हो सकती है। पंच कमीशन रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि किन उत्तरदाता का कितने वर्षों का कब्जा है तथा कितने वर्षों से पुराना मकान बना रखा है तथा मकान आबादी भूमि में है तथा मकान मिन उत्तरदाता के स्वामित्व का है। इस प्रकार सभी तथ्यों का कमीशन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। सभी कानूनी पूर्ती करने के बाद पट्टा जारी किया है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस सार्वजनिक स्थल पर चश्पा किया गया था तथा धारा 148 राज. पंचायत राज अधिनियम 1996 के समस्त विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये पट्टा जारी किया है । मिन उत्तरदाता को दिया गया पट्टा गांव की मुख्य आवादी क्षेत्र का है। मिन उत्तरदाता के अलावा अन्य गांव के व्यक्तियों के भी मकान मिन उत्तरदाता के लगते हुये कदमी से बने हुये है जिसमें पुक्ता मकान बनाकर निवास करते चले आ रहे है। निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकन किया है कि उनके पिता व पति द्वारा मिन उत्तरदाता को भूमि बटाई पर बताई गयी थी तथा उसके साथ ही रिहायसी की सुविधा अपने मकान उपलब्ध कराकर रखाई गयी थी तथा मिन उत्तरदाता लाईसेन्सी के रूप में निवास कर रहा है। यह तथ्य कतई गलत है, जबकि मिन उत्तरदाता उक्त भू–खण्ड पर कदमी से पहले कच्चे घरों में तथा असों 20 वर्ष से पक्का मकान बनाकर परिवार सहित मकान [illegible] चला आ रहा है तथा [illegible]

नियत् से उक्त निगरानी पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीकर्त्ता की निगरानी हरजा खर्चा खारिज फरमावें।

16. बहस वकील निगरानीकर्त्ता की सुनी गयी। वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी निगरानी में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये अभिकथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के यहां रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आबादी भूमि में स्थित भूखण्ड का पट्टा जारी कराने बाबत आवेदन किया जिसमें उक्त भूमि पुश्तेनी कब्जा होना जाहिर किया। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर प्रस्ताव संख्या 7(2) दिनांक 20/3/2018 को रिकॉर्ड पर लिया गया। पंचों को पंच कमीशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किया। पंच कमीशन रिपोर्ट पेश की जाने पर प्रस्ताव संख्या 5(2) दिनांक 20/4/2018 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये है, जो विधि के प्रावधानों के खिलाफ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 आवेदन पेश करते हुए कथन किया गया कि उक्त विवादित भूमि पर 25 वर्षो के कब्जा चला आ रहा है जो कब्जाशुदा भूमि आबादी भूमि का भाग है। इस पर वार्ड पंचों द्वारा किसी प्रकार की मौके की जांच नहीं की। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हितो को ध्यान में रखा जाकर पंचों द्वारा कमीशन रिपोर्ट पेश कर दी गयी जो कतई बनावटी एवं मौके के विपरीत तैयार की है। उक्त खसरा नम्बर 2249 व 2250 राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि है। राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत जाकर उक्त रिपोर्ट तैयार की गयी है जिसके आधार पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। पंच कमीशन रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा जिस भूमि का पट्टा चाहा है उस आबादी भूमि का खसरा नम्बर क्या है इस बाबत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आपत्ति के लिए नियत् 148 के अनुसार नोटिस फार्म सार्वजनिक स्थल पर चस्पा किया जाना आवश्यक है, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर चस्पा नहीं किया। प्रकरण में वास्तविक स्थिति यह है कि निगरानीकर्त्ता की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 2249 रकबा 0.07 है0 व ख.नं. 2250 रकबा 0.11 है0 ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी पटवार हल्का खोरालाडखानी (शाहपुरा) में स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि में से 1/2 हिस्सा निगरानीकर्त्ता के पिता व पति हनुमान पुत्र गंगासहाय ने दिनाक 23/8/1995 खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। हक अधिकार प्राप्त होने पर राजस्व रिकॉर्ड में नामा. भी दर्ज हो गया था । उक्त भूमि की देखभाल व काश्त करने हेतु निगरानीकर्त्ता के पिता व पति द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पिता लक्ष्मण सिंह को भूमि बटाई पर बताई गयी थी तथा इसी आधार पर उनको रिहायशी की सुविधा अपने द्वारा बनाये गयेमकान में उपलब्ध करायी थी। निगरानीकर्त्ता के पिता एवं पति की इजाजत से निवास करते हुये खोती करते रहे, लेकिन उनकी मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की नियत् में फितुर समा गया उसके द्वारा निगरानीकर्त्ता की खातेदारी भूमि के हिस्से जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लाईसेन्सी के रूप में निवास कर रहा है। गलत रूप से आबादी की भूमि बतायी जाकर पट्टा रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से साजिस एवं षडयन्त्र का निजी खातेदारी की भूमि की पूर्वी–दक्षिणी कोने की सडक से लगती हुयी जमीन को आबादी भूमि गलत दर्शाकर निगरानीधीन आदेश जारी करवा लिया। उक्त निगरानीधीन आदेश सर्वप्रथम अक्टुबर 2018 के अन्त में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से हुयी। सूचना के अधिकार के तहत् अपील अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने पर

सर्वप्रथम तथ्यों की जानकारी हुयी, जो जानकारी के 30 दिवस की समयावधी में पेश की है साथ ही मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र दफा–5 संलग्न किया है। उक्त निगरानीधीन आदेश निगरानीकर्त्तागण् की खातेदारी से सम्बन्धित पारित किया है, जिससे निगरानीकर्त्तागण् प्रमाणित है। अतः निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश 20/4/2018 निरस्त फरमाया जावें।

17. वकील गैर निगरानीकर्त्ता/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पट्टा जारी करने का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर वार्ड पंचों की कमेटी गठित की गयी। मौके की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान प्रावधानों के अनुरूप निर्णय पारित किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में पट्टा जारी किया है। निगरानीकर्त्ता द्वारा निगरानी में लिखा जाने से कृषि भूमि नहीं हो सकती है। पंच कमीशन रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का कितने वर्षों से कब्जा है तथा कितने वर्षों से मकान बना हुआ है, किसका स्वामित्व है तथा आबादी बाबत इन सभी तथ्यों का कमीशन रिपोर्ट में उल्लेख है। निगरानीकर्त्ता के वकील द्वारा उनका कथन है कि आपत्ति नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चश्पा नहीं किया जबकि सार्वजनिक स्थान पर नोटिस चश्पा किया है तथा धारा 148 राज. पंचायत राज अधिनियम 1996 के समस्त विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये पट्टा जारी किया है। जारी किया गया पट्टा गांव की मुख्य आबादी क्षेत्र का है। इसके अलावा गांव के अन्य व्यक्तियों के मकान कदमी से बने हुये है। निगरानीकर्त्ता के वकील द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को लाईसेन्सी के रूप में निवास करना बताया है जबकि उक्त भू–खण्ड पर कदमी से पहले कच्चे घरों में तथा अर्सों 20 वर्ष से पक्का मकान बनाकर परिवार सहित चले आ रहे है। निगरानीकर्त्ता द्वारा अपील मियाद बहार पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण कानूनी प्रकिया अपनायी जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हक में पट्टा जारी किया है। केवल गैर निगरानीकर्त्ता को हैरान एवं परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी पेश की है, जो चलने योग्य नहीं है। अतः हर्जा–खर्चा निगरानीकर्त्तागण् की निगरानी खारिज फरमावें।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं साक्ष्य ब सबूतों का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर मनन किया गया तो पाया कि सरपंच ग्राम पंचायत खोरालाडखानी पं.सं. शाहपुरा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02/गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 के हक में प्रस्ताव संख्या 5 के तहत् पुराने ग्रहों का विनियमितीकरण रा.प.रा. अधिनियम 1996 के नियम् 157(1) दिनांक 20/4/2018 को पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है। वकील निगरानी द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के समक्ष पट्टा चाहने का निवेदन करने पर दिनांक 20/3/2018 को प्रस्ताव संख्या 7(2) कार्यवाही विवरण में पंच कमीशन रिपोर्ट हेतु वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा दिनांक 20/3/2018 पंच कमीशन रिपोर्ट पेश की है। प्रस्ताव संख्या 5(2) दिनांक 20/4/2018 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हक में पट्टा जारी करने के आदेश पारित कर दिये जबकि वार्ड पंचों द्वारा किसी प्रकार की मौके की जांच नहीं की गयी। आवेदक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा जिस भूमि का पट्टा चाहा गया है वह किस खसरा नम्बर में है। वास्तविक तथ्य यह है कि निगरानीकर्त्ता की खातेदारी कब्जे

काश्त की भूमि ख.नं. 2249 रकबा 0.07 है0 व ख.नं. 2250 रकबा 0.11 है0 ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी तहसील शाहपुरा में स्थित है। उक्त भूमि निगरानीकर्त्तागण् के पिता व पति द्वारा दिनांक 23/8/1995 को खरीद की हुयी है। उक्त भूमि की देख-रेख व काश्त करने हेतु निगरानीकर्त्ता के पिता/पति द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पिता लक्ष्मण सिंह को बटाई पर बताई गयी थी । इसी आधार पर उन्हें रहने के लिए अपने द्वारा बनाये गये मकान उपलब्ध कराये थे। निगरानीकर्त्ता के पिता व पति की इजाजत से ही रिहायशी मकान का उपयोग एवं खेती करते रहे उनकी मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के मन में फितुर बेईमानी हो गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 निगरानीकर्त्ता की हिस्से की भूमि पर लाईसेन्सी के रूप में निवास कर रहा है। उक्त भूमि का आबादी भूमि बतायी जाकर निजी खातेदारी की भूमि की पूर्वी-दक्षिणी कोने की सडक से लगती हुयी भूमि का निगरानीधीन आदेश 20/4/2018 जारी करा लिया। उक्त आदेश गैर कानूनी है, जिसको अपास्त किया जाना न्यायोचित है। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 द्वारा निगरानीकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत बहस का खण्डन करते हुये अभिकथन किया है कि गेर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 द्वारा आबादी भूमि में स्थित भू-खण्ड के लिए पट्टा जारी करने हेतु निवेदन करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा पंच कमीशन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कमेटी बनायी गयी। पंच कमीशन मौके की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20/4/2018 के तहत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान प्रावधानों के अनुरूप निर्णय पारित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हक में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये है। उक्त कार्यवाही में सार्वजनिक स्थान पर आपत्ति नोटिस चश्पा किया गया है जारी किया गया पट्टा गांव की मुख्य आबादी क्षेत्र का है। उक्त भू-खण्ड पर कदमी से पहले कच्चे घरों में तथा अर्सा 20 वर्षों से पक्का मकान बनाकर परिवार सहित उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है केवल हैरान एवं परेशान करने की नियत से निगरानीकर्त्तागण् द्वारा निगरानी पेश की है तथा मियाद बहार पेश की है, जो खारिज योग्य है, जिसे खारिज करने के आदेश प्रदान करें।

चूँकि पत्रावली के अवलोकन करने से रेस्पोडेन्ट/गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 द्वारा प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 20/4/2018 को पुराने ग्रहों का विनियमितिकरण राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट/गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 2 के हक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की अधिसूचना एफ 4(7)/अने/रूल्स दिनांक 11/02/2013 थे जारी निर्देशों की पालना में आवेदक द्वारा राशि जमा कराने के उपरान्त आवेदक को पंचायत राज नियम 157(1)(ख) के अन्तर्गत पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया है। आवेदक को 106.66 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया है, जिसकी उत्तर-दक्षिण भुजाये 48 फिट है तथा पूर्व-पश्चिम भुजाये 20 फिट है। उत्तर में हनुमान सहाय जाट का मकान नक्शे में दर्शाया हुआ है, दक्षिण में हनुमानसिंह, बजरंगसिंह का मकान दर्शाया हुआ है, पूर्व में आम रास्ता है तथा पश्चिम में हनुमान जाट की भूमि है। उक्त जारी पट्टे कोनसे ख.नं. में जारी किया है तथा आबादी भूमि का कौनसा खसरा नम्बर है। इसका उल्लेख कही भी उक्त पट्टे में नहीं किया है ना ही वकील गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 द्वारा अपने समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य एवं सबूत दस्तावेज पेश किये जिससे यह साबित हो कि उक्त जारी किया गया पट्टा

सरकारी आबादी क्षेत्र की भूमि से जारी किया हो। वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया है कि निगरानीकर्त्ता के पिता व पति द्वारा खातेदारी अपनी भूमि में गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 के पिता को रहने के लिए अपने रिहायसी मकान उपलब्ध कराये गये थे उसे आबादी भूमि बताई जाकर एवं गलत दर्शा कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से अवैधानिक तरीके से पट्टा जारी करा लिया है। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 द्वारा अपने समर्थन में आबादी भूमि में लिया गया पट्टा बाबत कोई साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेजात् पेश नहीं किये। इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि ग्राम पंचायत की ना होकर खातेदारी भूमि रही है। खातेदारी भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी निगरानी स्वीकार की जाती है तथा रेस्पोडेन्ट/गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 01 द्वारा पारित निर्णय 20/4/2018 बाबत प्रस्ताव संख्या 05 खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

18. निर्णय आज दिनांक 13.8.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)